डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

मि0नं0 — 0109 / 2022

अनवान : —

1. शंकरलाल पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

:—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ भागीरथ राम चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री लीलाधर अग्रवाल व वकील प्रतिवादी राजपैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 10 एनटीआर के खाता सं0 90 / 63 के मु0 न0 5 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 20 कुल रकबा 4.0480है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में सन्तलाल पुत्र लादूराम के नाम 1 / 3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है **उक्त राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सन्तलाल पुत्र लादूराम के स्थान पर शंकरलाल पुत्र लादूराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया** जाता है एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि सन्तलाल पुत्र लादूराम के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम सन्तलाल पुत्र लादूराम ही लागू होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/5/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़